›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6821/2006/बारॉ अजीजनाजा बनाम जिम्बा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2022	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** अधिवक्ता प्रार्थी बावजदू सूचना अनपुस्थित एकतरफा कार्यवाही अमल लायी गयी। श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के। **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, शाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–08–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183बी का तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 13.01.06 से अप्रार्थी के पक्ष में निस्तारित कर दिया। तहसीलदार के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने एक अपील न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, शाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, शाहाबाद ने अपने निर्णय दिनांक 29.08.06 से खारिज कर दी। न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, शाहाबाद के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया की बहस निगरानी में सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर अप्रार्थीया की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा अप्रार्थीया अनुसूचित जाति की सदस्या है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्ति का अवैध कब्जा होने के कारण धारा 183 बी के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6821/2006/बारॉ अजीजनाजा बनाम जिम्बा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 183बी समरी ट्रायल है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीया की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रार्थी का अवैध कब्जा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी के प्रकरण को विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। बहस के अतं में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। इस प्रकरण के संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, शाहाबाद ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि– ''अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थिया अनुसूचित जाति की सदस्या है तथा उक्त आराजी अप्रार्थीया की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रार्थी का अवैध कब्जा है। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्ण्य दिनांक 13.1.2006 यथावत रखा जाता है। पूर्व में हारी किया गया इस न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 13.01.06 निरस्त किया जाता है'' इस प्रकार विवादित भूमियों के सबंध में सभी संबंधित राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी अप्रार्थीया जिम्बा बेवा शंकर जाति कोली एक अनुसूचित जाति की महिला के नाम राजस्व रिकार्ड व खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि पर एक सामान्य जाति के व्यक्ति को को खातेदारी अधिकार विधिक रूप से प्राप्त नहीं हो सकते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6821/2006/बारॉ अजीजनाजा बनाम जिम्बा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है दोनों अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 13.01.2006 व 20.8.06 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	